रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11012021-224331
CG-DL-E-11012021-224331

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 15] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 11, 2021/ पौष 21, 1942
No. 15] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 11, 2021/PAUSA 21, 1942

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2021

सं. एन.12-/13/1/2019.यो-एवं वि.—जबकि कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप धारा (1) के अंतर्गत अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत शपथपत्र में राहत का दावा प्रस्तुत करने की शर्त को और शिथिल करने के लिए यथाअपेक्षित मसौदा अधिसूचना को भारत का राजपत्र (असाधारण) भाग-III, खंड-4 में दिनांक 10.11.2020 को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों की अवधि की समाप्ति तक इससे प्रभावित हो सकने वाले सभी व्यक्तियों से आपत्ति और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किया गया था।

तथा जबकि उक्त राजपत्र अधिसूचना दिनांक 13.11.2020 को सार्वजनिक की गई थी।

तथा प्रभावित हो सकने वाले व्यक्तियों से कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ।

अब, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्मचारी राज्य बीमा निगम अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंतर्गत शपथपत्र के रूप में दावा प्रस्तुत करने की शर्त को शिथिल करने के अपने निर्णय को दिनांक 04.02.2019 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा अधिसूचित योजना में निम्नलिखित संशोधन के साथ एतदद्वारा अधिसूचित करता है :-

i. दिनांक 04.02.2019 की अधिसूचना के खंड (6) से “शपथपत्र” शब्द को विलोपित किया गया है।

ii. खंड (6) में संदर्भित प्रपत्र ए.बी.-I (संलग्नक) से "20/- रुपये के गैर-न्यायिक स्टांप कागज पर किया जाना है" शब्द को विलोपित किया गया है।

एस. बिस्वास, बीमा आयुक्त (योजना एवं विकास)

[विज्ञापन –III/4/असा./451/2020-21]

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th January, 2021

No. N-12/13/01/2019-P&D.—Whereas draft notification further to relax the condition of submitting claim for relief under Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana in affidavit form for claiming this relief was published as required under sub-section (1) of section 97 of the Employees' State Insurance Act 1948 (34 of 1948) in the Gazette of India Extraordinary Part III Section 4 dated 10.11.2020 for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of period of thirty days on which the notification was published;

And whereas, the said gazette notification was made available to the public on 13.11.2020;

And no suggestion was received from the persons likely to be affected;

Now, therefore in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of Section 97 the Employees' State Insurance Act 1948 (34 of 1948), the Employees' State Insurance Corporation hereby notifies its decision to relax the condition of submitting claim for relief under the scheme Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana in affidavit form for claiming this relief along with the following amendments in the scheme which was notified in the Gazette of India Extraordinary Part III section 4 on 04.02.2019:

i. In the notification dated 04.02.2019, in clause (6) the words "an affidavit" is omitted.

ii. In the form AB-I (Annexure) referred in clause (6) therein the words "to be prepared on Rs. 20/- non-judicial stamp-paper" is omitted.

S. BISWAS, Insurance Commissioner (P&D)

[ADVT. III/4/Exty./451/2020-21]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2021.01.11 21:41:32 +05'30'